

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1802] No. 1802] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 3, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 3, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2327(अ).—केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश चन्द्र, महाप्रबंधक, (विधिक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को और अविध, 3 जनवरी, 2016 अथवा आगे के आदेशों, जो भी पूर्व हो, तक दिल्ली मेट्रो के संचालन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं, जिनमें व्यक्ति की मृत्यु, शारीरिक क्षति या किसी भी संपत्ति का नुकसान अंतर्वितत के बारे में है, के लिए प्रतिकर हेतु दावों के न्याय-निर्णायक के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा पद का अतिरिक्त प्रभार पर समन्देशन करना जारी रखती है।

[फा. सं. के-14011/21/2013-एमआरटीएस-ा]

दीन दयाल, अवर सचिव

टिप्पण: श्री सतीश चन्द्र, महाप्रबंधक (विधिक) डीएमआरसी को डीएमआरसी के लिए दावा आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार समनुदेशन के संबंध में अधिसूचना, का.आ. सं. 2924(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

3621 GI/2015 (1)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2327(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby continues to assign the additional charge of the post of Claims Commissioner for Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal), DMRC for a further period upto 3rd January, 2016, or until further orders, whichever is earlier, for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to person, or damage to any property arising out of the working of the Delhi metro.

[F. No. K-14011/21/2013-MRTS-I]

DEEN DAYAL, Under Secy.

Note: The notification assigning the additional charge of the post of Claims Commissioner for DMRC to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal) DMRC, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2924(E), dated the 17th November, 2014.